

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व आवेदन संख्या 417/2025

अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पनूकंवर पत्नी दानसिंह 2. लीलकंवर पत्नी मोहनसिंह 3. स्वरूपसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पूंजराजसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. बाबूराम पुत्र उतमाराम जाति माली, निवासी शिव तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री बृजमोहन कुमावत।

--:: आदेश ::--

दिनांक : 30.03.2026

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत मौजा अम्बावाड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 584/25, 984/25 रकबा क्रमशः 0.0142, 0.0081 हैक्टेयर के आये हुए है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 1048/983, 1123/1049 रकबा क्रमशः 0.1385, 0.1019 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 25 से विभक्त खसरा नम्बर है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 2 से क्रय कर मौके पर काबिज हुए है। उक्त विवादित आराजी में राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये गलत तरमीम कर दी गई, जिसे मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है तथा आवागमन हेतु रास्ता प्रभावित हो रहा है। उक्त गलत तरमीम से खातेदारान् का कब्जा काश्त एक दुसरे की तरमीम में आ गये है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रभावित हो रहा है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा संपरिवर्तन हेतु आवेदन करने पर तरमीम दुरस्ती की सलाह दी गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम एवं रेकर्ड दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रुबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा रेकर्ड से अलग पाया गया। रेकर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर सभी खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।



उपखण्ड अधिकारी
शिव, बाड़मेर

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्टा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी के लट्टा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर वास्तविक कब्जा एवं लट्टा नक्शा की तरमीम में भिन्नता है। मौके पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा रेकॉर्ड से अलग पाया गया। रेकॉर्ड में मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने पर मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार पक्षकारान् के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिस पर सभी खातेदारान् व मौतबिरान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 2 द्वार उपस्थित होकर उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अम्बावाड़ी, तहसील शिव में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 584/25, 984/25 रकबा क्रमशः 0.0142, 0.0081 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 1048/983, 1123/1049 रकबा क्रमशः 0.1385, 0.1019 हैक्टेयर भूमि की लट्टा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक हित उक्त आदेश से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।



आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपर उपखण्ड अधिकारी
शिवशिव (बाडमेर)

उपर उपखण्ड अधिकारी
शिवशिव (बाडमेर)